12 3/15 अनुलाप पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में पुनः बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रा० नम्बर से कम होकर बाद तकमील शामिल दफ्तर की जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी : बलवन्तसिंह लिग्गी आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थनापत्र सं0	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
55 / 2011	19.11.2011	12-03-2015

उनवान

भूपसिंह पुत्र रामस्रूप जाति अहीर ग्राम बीलाहेड़ी तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:– प्रार्थी / वादी

बनाम

1. राजाराम
2. रामनारायण उर्फ रगला
3. किशनलाल
4. हंसराज उर्फ हंसा पुत्र रामस्वरूप
5. सुलतान पुत्र रामस्वरूप जाति अहीरान ग्राम बीलाहेड़ी
6. मेहरचन्द
7. मामचन्द पुत्रान गोविन्दा
8. प्रकाश
9. इन्दर नबीरान गोविन्दा पुत्र प्रभू जाति अहीरान ग्राम हाजीपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0
10. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर
11. उप–पंजियक महोदय, कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर
12. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बूढीबावल तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:–

अप्रार्थी / प्रतिवादी

दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0अधि0
आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

उपस्थित :

1. श्री रामफल यादव एडवोकेट, प्रार्थी
2. श्री नरहरि व्यास एडवोकेट, अप्रार्थी 3

निर्णय

प्रार्थी/वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी इस न्यायालय मे पेश किया गया। प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, शपथपत्र एवं दस्तावेजों से प्रार्थी का केस प्राईमाफेसाई आयद वो साबित होता है। विवादित आराजी मिन प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 9 वो प्रतिवादी सं0 13 लगायत 75 की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर हम सामलात में ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। *यह है कि विवादित आराजी के खाता सं0 226 में मिन प्रार्थी का 1/6 भाग,* खाता सं0 12 में मिन प्रार्थी का 1/6 भाग, खाता सं0 13 में मिन प्रार्थी का 1/12 भाग, खाता सं0 14 मे से मिन प्रार्थी का 1/12 भाग,विवादित आराजी के खाता सं0 59 वाके ग्राम बीलाहेडी में मिन प्रार्थी का 1/96 भाग, विवादित आराजी खाता सं0 95 में मिन प्रार्थी का 1/18 भाग, विवादित आराजी के खाता सं0 342 में मिन प्रार्थी 1/24 भाग, विवादित आराजी खाता सं0 284 वाके ग्राम बीलाहेडी में मिन प्रार्थी का 1/48 भाग है। मिन प्रार्थी उपरोक्त हिस्सों पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 वो प्रतिवादी सं0 13 लगायत 75 के साथ सामलात में ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करता चला आ रहा है। यह है कि अप्रार्थी सं0 5 आराजी ख0 नं0 524/0.06, 525/0.46 में सबमर्सिबल बोरिंग करने की जुस्तजु में है जबकि इस आराजी में पहले ही पक्का कुंआ बना हुआ है। यदि अप्रार्थी सं0 5 ने इस आराजी को बिना बंटवारे किये ही सबमर्सिबल बोरिंग कर ली तो पक्का कुंआ सूख जायेगा व जमीन पड़त हो जायेगी एवं मिन प्रार्थी को उपरोक्त आराजी के हिस्से में काश्त योग्य आराजी नहीं रहने से मिन प्रार्थी की फसल काश्त नहीं हो सकेगी व मिन प्रार्थी बर्बाद हो जायेगा। बिना बंटवारे किये बिना अप्रार्थी सं0 5 को ख0 नं0 524, 525 सबमर्सिबल बोरिंग करने का कोई हक वो अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थीगण आये दिन मिन प्रार्थी के विवादित आराजीयात के उपरोक्त हिस्से में मजामहत व मदालखत पैदा करते रहते है। फसल बोने दरों करने में रूकावट पैदा करते रहते है। मिन प्रार्थी ने अजखुद प्रतिवादीगणों से दिनांक 10.04.2014 को विवादित आराजीयात का तकासमा कर अलग खाता कायम करवाने हेतु निवेदन किया तो वो स्पष्ट रूप से इंकार हो गये और मिन प्रार्थी को ऐलानिया तौर पर धमकियां दी कि हम विवादित आराजी को बिना बंटाये

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (बलवर)

Scanned by CamScanner

दीगर लोगों को बेचान कर देगे और तुझे तेरे हिस्से से जबरन बेदखल करेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपने इस नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजी से वंचित होना पडेगा। अजहद की हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में रूपये में नहीं आंकी जा सकेगी। इसलिए मिन प्रार्थी अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मइम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की सामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात है। जिस पर सामलात में ही काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिए सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति बहक मिन प्रार्थी है अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 512/0.20, 536/0.22, 551/0.16, 808/0.15, वाके ग्राम **कान्हडका**, आराजी हाल ख0 नं0 521/0.30, 524/0.06, 525/0.46, 529/0.19, 550/0.19, 552/0.19, 571/0.80, 583/0.18, 587/0.20, 445/083, 523/1.37 वाके ग्राम **हाजीपुर** व आराजी हाल ख0 नं0 351/0.09, 545/0.17, 569/0.19, 860/0.19, 907/0.05, 1347/038, 1381/030, 310/0.09, 726/0.13, 1242/0.15, 1251/0.08, 1255/0.06, 1344/0.14, 795/0.01, 1383/0.25 वाके ग्राम **बीलाहेडी** तहसील कोटकासिम को कहीं दीगर जगह रहन बय हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, ना ही प्रार्थी की सामलाती हिस्सों के कब्जा काश्त में मजामहत व मदालखत पैदा करे, ना जबरन बेदखन करे, ना कब्जा करे, ना ही आराजी ख0 न0 524, 525 में अप्रार्थी सं0 5 सबमर्सिबल बोरिंग करे, ना निर्माण कार्य करे, मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थनापत्र की नकल प्रतिवादी वकील को दी गई।

प्रतिवादी वकील सं0 3 ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने झूंठे दस्तावेज व मिथ्या शपथपत्र पेश किये है। प्रार्थी का केस किसी भी सूरत में प्राईमाफेसाई आयद वो साबित नहीं होता है। वाद वादी काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र में वादी ने आराजी मुतदाविया को सामलाती कब्जा काश्त की होना कतई गलत दर्ज किया है एवं सामलात में काश्त करने बाबत भी गलत दर्ज किया है। वादी ने वास्तविक एवं भौतिक तथ्यो को छुपाया है एवं बनावटी मनघड़न्त वो मिथ्या तथ्य दर्ज कर वाद प्रस्तुत किया है जो वाद शुद्धहस्त होकर पेश नहीं किया गया है वादी द्वारा शुद्धहस्त होकर वाद पेश नहीं करने के कारण वाद वादी कानूनन चलने योग्य नहीं है। जबकि दरहकीकत यह है कि आराजी मुतदाविया का बहामी रूप से पक्षकारान में आपस में सहुलियत काश्त के हिसाब से दिनांक 07.05.1982 को विभाजित कर लिया एवं तभी से बदस्तूर आज दिन तक काबिज काश्त चले आ रहे है। मुझ जवाबदेहिन्दा के हिस्से में ख0 सं0 521 पीपलवाला शेर में से 1 बीघा,

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

ख0 सं0 523 गोविन्दा वाली में 3 बीघा 14 बिस्वा एवं ख0 नं0 571 में से आधा बीघा यानि 10 बिस्वा भूमि बौचा वाली में वादी भूपसिंह की डोल के साथ तरफ उत्तर में ग्राम हाजीपुर तहसील कोटकासिम आई। प्रतिवादी सं0 2 रामनारायण के हिस्से में ग्राम आनाका तहसील कोटकासिम की भूमि ख0नं0 11, 14 ज्वारवाले आये। वादी भूपसिंह को ग्राम कान्हडका ख0 नं0 808 एंव ग्राम हाजीपुर में ख0 नं0 571 में से आधा बीघा यानि 10 बिस्वा भूमि मुझ जवाबदेहिन्दा वो सुल्तान प्रतिवादी नं0 5 के बीच में एवं ग्राम कान्हडका वाली भूमि में ख0 नं0 808 में 15 हैक्ट0, 512/0.20 हैक्ट0, 536/0.22 हैक्ट0, 551/0.15 हैक्ट0, हिस्से में आई। प्रतिवादी सुल्तान के हिस्से में ख0 नं0 525 ग्राम हाजीपुर में चौलावाली में 2 बीघा भूमि ख0 सं0 571 ग्राम हाजीपुर में आधा बीघा भूमि 10 बिस्वा भूमि दक्षिण की तरफ भूपसिंह वादी की डोल से लगती हुई एवं ख0 नं0 445 ग्राम हाजीपुर में से 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि आई। राजाराम पुत्र रामस्वरूप के हिस्से में ख0 सं0 523 ग्राम हाजीपुर वाली में 13 बिस्वा भूमि जाटूवास की डोल के पास ख0 सं0 445 ग्राम हाजीपुर लिकाडू में से 16 बिस्वा भूमि ख0 सं0 529 ग्राम हाजीपुर परली चौला वाली में 07 बिस्वा 552 ग्राम हाजीपुर बड़ा खेत में से 12 बिस्वा ख0 सं0 571 ग्राम हाजीपुर खेत बौचा वाले में 1/2 बीघा यानि 10 बिस्वा भूमि तरफ उत्तर ख0 सं0 583 व 587 ग्राम हाजीपुर लार वाले में कमशः 07 बिस्वा 08 बिस्वा भूमि एंव ख0 नं0 795 ग्राम बीलाहेड़ी जाटडी वाला खेत में 1/2 बीघा यानि 10 बिस्वा भूमि आई। प्रतिवादी सं0 4 हंसराज पुत्र रामस्वरूप के हिस्से में ख0 सं0 523 ग्राम हाजीपुर में जाटूवास की डोल के पास 13 बिस्वा भूमि, ख0 सं0 445 ग्राम हाजीपुर लिकाडू वाले में 16 बिस्वा भूमि ख0 सं0 529 ग्राम हाजीपुर परली चौला वाली में 07 बिस्वा ख0 सं0 552 ग्राम हाजीपुर बडा खेत में 12 बिस्वा भूमि ख0 सं0 571 ग्राम हाजीपुर बौचावाला मे 10 बिस्वा भूमि यानि आधा बीघा भूमि राजाराम वो रामनारायण के बीच में ख0 सं0 583 ग्राम हाजीपुर लारवाली मे 07 बिस्वा, ख0 सं0 587 ग्राम हाजीपुर लारवाली में 08 बिस्वा भूमि हिस्से मे आई एंव इसी अनुरूप काबिज काश्त हुए और आज दिन तक बदस्तूर काबिज काश्त है हंसराज उर्फ हंसा प्रतिवादी द्वारा ग्राम कान्हडका की भूमि में अपना हिस्सा बेचान किया जा चुका है। आराजी मुतदाविया सामलाती नहीं है। बल्कि पक्षकारान ने आराजी को मौके में आपस में बंटाई हुई है तथा अलहदा काबिज वो दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा जब एक बार बाहमी रूप से बंटवारा हो चुका है तो पुनः बंटवारा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है आराजी मुतदाविया अबट नही है ना ही सामलात में काश्त कर रहे है मौके पर बंटी हुई है ऐसी सूरत में वाद वादी काबिल खारिज है। मुझ जवाबदेहिन्दा की जानकारी में नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 5 कोई सबमर्सिबल बोरिंग कर रहा है या नही कर रहा है। प्रार्थनापत्र में कतई मनघडन्त बनावटी वो मिथ्या गलत तथ्य दर्ज किये है जब आराजी मुतादाविया का सन् 1983 में बाहमी बंटवारा हो गया और बाहमी बंटवारा अनुसार पक्षकारान के हिस्से में आई भूमि पर काबिज

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

काश्त है तो वादी को मजामहत व मदालखत पैदा ही नहीं होता है। सामलात मे काश्त करने बाबत वादी ने कतई गलत तथ्य दर्ज किया है जब आराजी मुतदाविया का एक बार बहामी रूप से बंटवारा हो चुका है तो फिर बंटवारा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी द्वारा पूर्व में वाद सं0 168/05 बअनुवान भूपसिंह बनाम राजाराम आराजी मुतदाविया बाबत दायर किया जो दिनांक 4.3.2011 को खारिज हो चुका है वादी ने दिनांक 10.3.2011 की कहानी गलत दर्ज की है जब आराजी मुतदाविया का बंटवारा बहामी रूप से सन् 1983 में हो गया तो तकासमा करवाने बाबत कहने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी को कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है। ना वादी को कोई अपूरणीय क्षति होती है। ना सुविधा का सन्तुलन बहक वादी है ऐसी सूरत में वादी मुझ जवाबहेहिन्दा/प्रतिवादी के विरूद्ध हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी 3 गांवो की है जो पुश्तैनी है। विवादित आराजी जो अबट है। इसमें वादी का पक्का कुआँ बना हुआ है जो सुख गया है इसमें वादी ने बोरिंग लगा रखा है व मकानात बना कर रह रहा है। विवादित आराजीयात में से किसको कौनसी आराजी हिस्से में मिलेगी। यह बात वादपत्र के निर्णय में तय होनी है। वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने तक प्रतिवादीगण को जारी स्थगन आदेश को कन्फर्म किया जावे। ज्वाइंट प्रोपर्टी है। इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो, बेचान नहीं किया जा सके, क्योंकि क्रेता स्ट्रेन्जर पर्चेजर होगा। इससे मुकदमें बढेंगे। वादपत्र में तनकीयात कायम हो चुकी है। मौखिक कोई बंटवारा नहीं किया हुआ है। अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी बिना बंटवारा किये हुए जमीन का स्थगन आदेश होते हुए भी बेचान किया गया है। आदेश 2 नियम 2 आदेश 9 नियम 9 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं है। यह दावा व प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा की इजाजत लेकर दायर किया है। अप्रार्थीगण द्वारा बंटवारे की चर्चा पूर्व में प्रार्थी से कभी नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के हक में है। अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण को जर्ये हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थनपत्र में वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। प्रार्थनापत्र शुद्धहस्त होकर पेश नहीं किया है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अपनी सहुलियत से दिनांक 07.05.1982 को

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर)

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि को बांट लिया था तभी से बदस्तूर काबिज है। जिसका मुझ अप्रार्थी ने जवाब दावे में स्पष्ट उल्लेख किया है। वादी द्वारा दावा संख्या 168/2005 विवादित आराजीयात बाबत पूर्व में भी पेश किया था जो दिनांक 04.03.2011 को खारिज किया गया था। अब पुनः उसी वादकरण स्थिति से दूसरा दावा न्यायालय हाजा में पेश किया है। इसके लिए जरूरी इजाजत भी न्यायालय हाजा से प्राप्त नहीं की है। दावा आदेश 2 नियम, आदेश 9 नियम 9 के तहत निरूद्ध है। विभाजन हेतु दावे में सभी सह काश्तकारों का पार्टी बनाना जरूरी है। जबकि प्रार्थी द्वारा मंजूबाला को पक्षकार नहीं बनाया व प्रतिवादी 12 को अनावश्यक पक्षकार बनाया है। प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार को पाबंद नहीं करा सकता। कॉज ऑफ एक्शन 2005 में पैदा हुआ था तो वाद अब क्यों लाया गया। इसलिए भी प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। प्रतिवादी हंसराज द्वारा बेचान नियमों में प्रावधानों के अनुसार किया गया है। मुझ प्रार्थी को भी बेचान करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। प्रार्थी पूर्व के दावे को स्वयं एडमिट कर रहा है, पूर्व का दावा आदेश 23 नियम 1 के तहत विड्रो किया हो, ऐसा नहीं है बल्कि पूर्व वाद अदम पैरवी में खारिज हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है। अप्रार्थी वकील द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2002 आर.आर.सी पेज 104, 2002 आर.आर.डी पेज 135 व 2009 आर.आर.डी पार्ट प्रथम पेज 25 का हवाला प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर विचार किया गया व प्रार्थनापत्र पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के रिकॉर्डेड सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाईदवामी पेश किया है जो विचाराधीन है। जबकि अप्रार्थी 3 की ओर से कथन किया है कि विवादित आराजीयात का दिनांक 07.05.1982 का बंटवारा हो चुका है व प्रार्थी ने पूर्व में भी एक दावा सं0 168/05 न्यायालय हाजा में तकासमा आराजीयात मुतदाविया का दायर किया था। जो दिनांक 04.03.2011 को अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज हो चुका है। पुनः दावा पेश करने की इजाजत न्यायालय हाजा से प्राप्त नहीं की है। मेरे सुविचारित मत से इन सब तथ्यों पर वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाना है व पक्षकारान विवादित आराजी के रिकॉर्डेड सह खातेदार दर्ज है। अतः प्रकरण में रिकॉर्डेड सह खातेदारों को हुक्मइम्तनाईदवामी से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं होगा

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत विवादित आराजीयात हाल ख0 नं0 512/0.20, 536/0.22, 551/0.16, 808/0.15,

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

वाके ग्राम **कान्हडका**, 521/0.30, 524/0.06, 525/0.46, 529/0.19, 550/0.19, 552/0.19, 571/0.80, 583/0.18, 587/0.20, 445/083, 523/1.37 वाके ग्राम **हाजीपुर** व 351/0.09, 545/0.17, 569/0.19, 860/0.19, 907/0.05, 1347/038, 1381/030, 310/0.09, 726/0.13, 1242/0.15, 1251/0.08, 1255/0.06, 1344/0.14, 795/0.01, 1383/0.25 वाके ग्राम **बीलाहेडी** तहसील कोटकासिम खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-03-2015 मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलवन्त सिंह लिग्गी)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner